माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

निगरानी /2018

निगरानी-4595/2018/दतिया/भू.रा.

वलबीर पुत्र हरदयाल उर्फ दिल्ले निवासी ग्रम तंगा
कृशिक घरावा तहसील दतिया जिला दतिया म.प्र.
.........आवेदक

द्वारा आज दि. 25-7-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 30-7-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 25-7-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

राममूर्ती तनय रामदास अहिरवार निवासी ग्रम
तगा घरावा तहसील दतिया जिला दतिया म.प्र.
.........अनावेदक

निगरानी अंतर्गत म.प्र भू राजस्व सहिता 1959 की धारा 50 के अतर्गत पारित राजस्व राजस्व निरीक्षक वृत सेंमपुर तहसील दतिया जिला दतिया म.प्र. के प्रकरण क 15/अ–12/17–18 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 24.6.2018 के विरूद्ध

श्रीमान जी

टावेदक की ओर से निवेदन निम्न प्रकार है।

1. यहकि, अनावेदक द्वारा भूमि ग्रम तगा तहसील दतिया के भूमि सर्वे क 477,466,467/1 ,468/1,481 के भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन पत्र दिया जिस आवेदन पत्र पर से आवेदक को वगैर सूचना व सुनवाई का मोका दिये अवैध व मनमानेपूर्ण तरीके से सीमांकन किया जिसका प्रकरण क 15/अ–12/17–18 दर्ज किया गया जिसमे प्रथम पेशी दिनांक 23.5.2018 से पेशी दिनांक 24.6.18 नियत की गई और पेशी दिनांक 24.6.2018 को ही सीमांकन कार्य पूर्ण कर लिया गया जिसमे पंचनामा आदि पर भी आवेदक के कोई हस्ताक्षर नही है।
2. यहकि, आवेदक की भूमि सर्वे कमाक 467/1 का सीमांकन किया गया जिसमे आवेदक द्वारा आपत्ति भी प्रस्तुत की गई जिस आपत्ति का पेशी दिनांक 9.5.2018 की आदेश पत्रिका मे उल्लेख भी है परन्तु फिर भी आपत्ति का विधिवत निराकरण किये वगैर मनमाने पूर्ण तरीके से सीमांकन कार्य किया गया जो उचित एंव न्याय संगत न होने से निरस्त योग्य है।
3. यहकि, आवेदक द्वारा उक्त सीमांकन की कार्यवाही को रोकने हेतु तहसीलदार दतिया के समक्ष आवेदन पत्र दिया जिस पर से तहसीलदार महोदय द्वारा उक्त सीमाकन कर कार्य रोकने का आदेश भी दिया उसके वावजूद भी सीमांकन कार्य किया गया है। जो उचित एवं न्याय संगत न होने से निरस्त योग्य है।
4. यहकि, उक्त निगरानी निम्न आधार पर प्रस्तुत है

आधार

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी 4595/2018/दतिया/भू.रा

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
25.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त राजापुर जिला दतिया के प्रकरण कमांक 15/अ-12/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 24.06.18 के विरूद्व म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:- धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन- (ख) इस संहिता के अधीन निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3-परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी दतिया जिला दतिया के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 29/4/19 **अनुविभागीय अधिकारी दतिया जिला दतिया**	